संख्या-6/2018/597/सत्तर-1-2018-16(123)/2015

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 06 अगस्त, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमों में अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं का प्राविधान सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपाय) विनियम, 2010'' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों, महाविद्यालय के प्राचार्य, पुस्तकालय संवर्ग एवं शारीरिक शिक्षा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु अर्हताओं एवं चयन समितियों का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त यू0जी0सी0 विनियम, 2010 के मानकों को उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31-12-2010 सपठित शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03-12-2013 द्वारा शिक्षकों, प्राचार्य, पुस्तकालय संवर्ग एवं शारीरिक शिक्षा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में लागू किया गया है तथा तत्सम्बन्धी प्राविधान समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31-12-2010 सपठित शासनादेश दिनांक 03-12-2013 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में परिनियम संख्या-11.03.03 में प्राविधान है।

2- सम्यक विचारोपरान्त अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों की अर्हताओं के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31-12-2010 सपठित शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03-12-2013 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों में परिनियम संख्या-'11.03.03-प्राचार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड' के पश्चात अग्रतर 'परन्तुक' जोडे. जाने का निर्णय लिया गया है:-

'परन्तु अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड निम्नवत् होंगे : -

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हो (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)।

(ख) सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित।

(ग) उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।'

3- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देशित किया जाता है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली में 15 दिन के अन्दर उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन कर लें तथा अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

भवदीय,
संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-6/2018/597(1)/सत्तर-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त प्रबन्धक, अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(7) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को राज्य विश्वविद्यालयों/अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मधु जोशी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in